पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद प्रकारण संख्या 77/2019

1. विकास पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. रोहिताश बागडवा पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – वादीगण

बनाम

1. गोपीराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा महियांवाली जरिए शाखा प्रबंधक महियांवाली
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

–– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा आदेश 88, 188 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री नरेश जाखड़ – – वादीगण
2. पैरोकार राज – – प्रतिवादी 3

दिनांक :–09.09.2019

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम श्रीगंगानगर के मुरबा नॅम्बर 2 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.013 हैक. मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 6 ता 20 में 3.795 हैक., 21 ता 25 प्रत्येक में 0.240 हैक. कुल 5.060 हैक. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। वादाधीन भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है उसके साथ हम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

वादीगण 1/3 हिस्से का खातेदार मालिक घोषित होने के अधिकारी हैं और इसी की घोषणा करवाना चाहते हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया वाद हम वादीगण के पक्ष में है। उक्त वादाधीन भूमि में से हम वादीगण ने आज से 5–7 रोज पूर्व जब अपना हिस्सा मांगा तो प्रतिवादी संख्या 1 इन्कार हो गया यही वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 के हम वादीगण वारिस है इसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है इसलिए हम वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ 1/3 हिस्से का खातेदार मालिक घोषित होना चाहते है और इसकी घोषणा करवाना चाहते हैं। वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से वाद डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया :–

(क) चक 8 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत् 2066–69 के खाता संख्या 16/29 कें मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.013 हैक., मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 6 ता 20 में 3.795 हैक., किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 0.240 हैक., कुल 5.060 हैक. भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है उसमें हम वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ 1/3 हिस्से का खातेदार मालिक घोषित किया जावे व रकबा अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

(ख) अन्य कोई अनुतोष बनना पाया जाता है तो दिलाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 08.07.2019 को स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया जिसके तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण द्वारा वाद पत्र में कहे गये कथनों से सहमत है। वादीगण को मेरे नाम दर्ज भूमि जो कि श्रीगंगानगर चक 8 एमएल की जमाबंदी सम्वत् 2066–69 के खाता संख्या 16/29 कें मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.013 हैक., मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 6 ता 20 में 3.795 हैक., किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 0.240 हैक., कुल 5.060 हैक. भूमि में से वादीगण को मुझ प्रतिवादी के साथ–साथ 1/3 हिस्से का खातेदार मालिक घोषित कर दिया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दिनांक 03.09.2019 को अन्नापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 23.07.2019 पेश किया। वकील वादी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 03.09.2019 को स्टेट जवाब पेश किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तुत राज़ीनामा के कथनों का अवलोकन किया गया।

"राजस्थान काश्तकारी (राज़स्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

—:: आदेश ::—

राजीनामा के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर चक 8 एमएल की जमाबंदी सम्वत् 2066–69 के खाता संख्या 16/29 कें मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 ता 5 प्रत्येक 0.013 हैक., मुरब्बा नम्बर 3 किला नम्बर 6 ता 20 में 3.795 हैक., किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में 0.240 हैक., कुल 5.060 हैक. भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है उसमें से वादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ–साथ 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 09.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर